## सम्वत् २०७८ साल साउन २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु

१. प्राविधिक जनशक्ति सेवा करारमा छनौट गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गर्ने ।

२. प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयबाट फिर्ता लिने ।

३. भाइरस (कोभिड-१९) को सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशको दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम प्रदेशस्तरमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कामलाई सहज, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा देहायबमोजिमको निर्देशक समिति गठन गर्नेः

**क. निर्देशक समितिको गठनः-**

| | | |
|---|---|---|
| १. | मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश सरकार | -संयोजक |
| २. | मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | -सदस्य |
| ३. | मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | -सदस्य |
| ४. | मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय | -सदस्य |
| ५. | प्रमुख सचिव, कर्णाली प्रदेश सरकार | - सदस्य |
| ६. | पश्चिम कमाण्डर चिफ, नेपाली सेना, पश्चिम कमाण्डर कार्यालय, सुर्खेत | - सदस्य |
| ७. | नगर प्रमुख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत | - सदस्य |
| ८. | सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (विपद् हेर्ने) | - सदस्य |
| ९. | सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय | - सदस्य |
| १०. | सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय | - सदस्य |
| ११. | प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत | - सदस्य |
| १२. | प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रदेश प्रहरी कार्यालय | - सदस्य |
| १३. | सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक, नं. ६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय | - सदस्य |
| १४. | अनुसन्धान निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान कर्णाली प्रदेश कार्यालय | - सदस्य |
| १५. | निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, सुर्खेत | - सदस्य |
| १६. | सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालय | -सदस्य सचिव |

**ख. निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः**

१. अध्यादेशमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी समितिले आवश्यक देखेका अन्य काम गर्ने।

२. निर्देशक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुने।

३. संयोजकले आवश्यकता अनुसार कुनै बिषय बिज्ञ वा पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने।

**द्रष्टब्यः निर्णयसँग सम्बन्धित थप जानकारी सम्बन्धित मन्त्रायलयबाटै प्राप्त गर्न सकिनेछ।**